

pan>

Title: Introduction of the Companies (Amendment) Bill, 2018
(Amendment of section 135).

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.”

The motion was adopted.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।
